झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0— म0म0स0—05/वे0भ0 संशोधन—128/2017 1240 / झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एंव भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम— 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम—2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "विधान मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "की दर से" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 55,000/— (पचपन हजार) मात्र"** को **"रु0 78,000/— (अठहत्तर हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम—2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "विधान मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "की दर से" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 45,000/— (पैतालीस हजार) मात्र"** को **"रु0 55,000/— (पचपन हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम—3 के उप नियम (III) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष" के पश्चात् एवं "04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"15,00,000/— (पंद्रह लाख) रुपये"** को **"रु0 20,00,000/— (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम—3 में नया उप नियम—3 (iii) (a) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:—

"अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष राशि रु0 20,00,000/— (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

v) नियमावली के नियम—3 के उप नियम (IV) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को" के पश्चात् एवं "04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,00,000/— (तीस लाख) मात्र"** को **"रु0 40,00,000/— (चालीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम—4 में **विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को शपथ—ग्रहण करने की तिथि से प्रभारी भत्ता के रूप में अनुमान्य रु0 1,500/— (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर को रु0 2,000/— (दो हजार) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा राज्य के बाहर पूर्व से अनुमान्य प्रभारी भत्ता रु0 2,000/— (दो हजार) मात्र को रु0 2,500/— (दो हजार पांच सौ) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vii) नियमावली के नियम—5 के उप नियम (I) में **विधान सभा अध्यक्ष को प्रतिमाह देय क्षेत्रीय भत्ता रु0 40,000/— (चालीस हजार) मात्र को रु0 80,000/— (अस्सी हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम—5 के उप नियम (II) में **विधान सभा उपाध्यक्ष को प्रतिमाह देय क्षेत्रीय भत्ता रु0 30,000/— (तीस हजार)मात्र को रु0 65,000/— (पैसठ हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जता है।

ix) नियमावली के नियम—6 उप नियम (क) में **विधान सभा अध्यक्ष को प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता रु0 35,000/— (पैंतीस हजार) मात्र को रु0 60,000/— (साठ हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

x) नियमावली के नियम–6 उप नियम (ख) में **विधान सभा उपाध्यक्ष को प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र को रु0 45,000/– (पैतालीस हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली के नियम–6 में एक नया उप नियम–6 (ग) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है:–

"लैंडलाईन, मोबाईल, इण्टरनेट तथा फैक्स की सुविधा हेतु राशि रु0 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) मात्र प्रतिवर्ष देय होगा, जिसमें में रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह वेतन में देय होगा।"

xii) नियमावली के नियम–7 के उप नियम (2) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1240/ रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017__________ / रांची, दिनांक , 2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव